सोशल मीडिया सेल आजमगढ

पत्र सं.- *405/21* दिनांक- 28 अगस्त *2021*

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

ताला तोड़कर सामान चुरा ले जाने वाले वॉछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक –26 .08.2021 को आवेदिका प्रधानाध्यापिका प्रा0वि0 अमुड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रा0वि0 अमुड़ी शिक्षा क्षेत्र सठियांव जनपद आजमगढ़ में दिनांक- 16/17.08.2021 की रात को अज्ञात चोरों द्वारा विद्यालय के कार्यालय व बगल के कमरो का ताला तोड़कर छत का पंखा व साउण्ड सिस्टम (स्पीकर) समर सेबल का पैनल चोरी किया गया है । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/2021 धारा 457,380 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर एस0पी0 सिंह के नेतृत्व में *थाना मुबारकपुर पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हु ई कि लगभग 10 दिन पहले रात में ग्राम अमुड़ी के प्रा0वि0 से पंखा साउण्ड सिस्टम और समर सेबर का पैनल की चोरी हुआ था चोरी के माल के साथ 3 व्यक्ति अमुड़ी गांव स्थित तिलक यादव के भट्ठे के पास सड़क किनारे खड़े होकर कही जाने हेतु साधन का इन्तेजार कर रहे है मुखबिरी सूचना से पुलिस टीम की तत्परता से अभियुक्त गण 1. शिवा यादव उर्फ शिवानन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पास से बोरी में एक अदद समर सेबल का पैनल बरामद हुआ 2. राहुल यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव सा0 ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पास से बोरी मे एक अदद साउण्ड सिस्टम (स्पीकर) बरामद हुआ 3. आलोक यादव पुत्र सुरेश यादव सा0 ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के पास से बोरी मे दो अदद पंखा का मोटर व 6 अदद पंखा का पंत्ती बरामद हुआ । अभियुक्त गण उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक- 27.08.2021 समय 21.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण *–अभियुक्त गण 1.शिवा यादव उर्फ शिवानन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव 2.राहुल यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव 3. आलोक यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी गण ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ अपना जुर्म स्वीकार करते हुए माफी मांगते हुए एक साथ बता रहे हैं कि साहब हम लोग बेरोजगार हैँ लाकडाऊन के वजह से हम लोगो को कोई काम नही मिल रहा था तो हम लोगो ने अपना शौक पूरा करने के लिए छोटी -मोटी चोरी करता थे कि दिनांक 16/17.08.2021 की रात में हम सभी लोग मिलकर अपने गाँव के प्रा0वि0 अमुड़ी के कार्यालय व कमरो का ताला तोड़कर पंखा समर सेबल का पैनल व साउण्ड सिस्टम खोलकर चुरा कर ले गये थे तभी से चोरी का माल छुपाकर रखे थे । कुछ दिन बीत जाने के कारण कल दिनांक 27.08.2021 को हम लोग चोरी के सामान को बेचने के लिए आजमगढ़ जा ही रहे थे कि आप लोगो ने हम तीनो को पकड़ लिया । अपना जूर्म स्वीकार करते हुए गलती की बार-बार माफी मांग रहे हैं ।*

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 162/2021 धारा 380,457,411 भा0द0वि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. शिवा यादव उर्फ शिवानन्द यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष
2. राहुल यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव सा0 ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष
3. आलोक यादव पुत्र सुरेश यादव सा0 ग्राम अमुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1. *एक अदद साउण्ड सिस्टम (स्पीकर),*
2. *दो अदद पंखा का मोटर, 6 अदद पंखा का पत्ती,*
3. *एक अदद समर सेबल का पैनल*

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण –

1. *उ0नि0 शंकर कुमार यादव चौकी प्रभारी सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़*
2. *का0 ऋषिकेश राय चौकी सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़*
3. *का0 अनिल राय चौकी सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़*
4. *का0 अरविन्द यादव चौकी सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़*
5. *का0 उपेन्द्र वर्मा चौकी सठियाँव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़*

थाना निजामाबाद
चोरी के अभियोग में 01 नफर अभियुक्त मय चोरी के माल के गिरफ्तार

दिनांक *19.08.21* को **विजय यादव पुत्र लक्षिराम यादव साकिन फरिहा** थाना निजामाबाद आजमगढ़ के किराने की दुकान से भोर में हुये चोरी के सम्बन्ध में **मु*0*अ*0*सं*0*- 160/*21* धारा-*457,380* भादवि** विरुद्ध अज्ञात दिनांक 26.08.21 को थाना स्थानीय पर मु*0*अ*0*सं*0* 160/*21* धारा-*457,380* भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज चोरी के मुकदमें के अनावरण हेतु निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराहीयान देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति चोरी से संबंधित लेपटाप व मोबाइल को रोवां बाजार में बेचने की फिराक में है मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम रोवां बाजार पहुंची तथा देखी कि एक व्यक्ति काले रंग के बैग को पीठ पर टांगकर खड़ा है। जिससे पूछताछ की गई तो अपना नाम सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द चौहान निवासी चालीसवां थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ व हालपता ईटोरा जिला जेल के पास जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी ली गई तो बैग में चोरी गई एक अदद लेपटाप, मोबाईल फोन व कीबोर्ड व माउस को बरामद करते हुये समय 09.10 बजे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालानकिया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया किया दिनांक 19.08.2021 को भोर में मैंने ही किराना की दुकान से लेपटाप, मोबाईल फोन व कीबोर्ड व माउस चुराया था। लेपटाप की पहचान मुकदमा वादी विजय यादव द्वारा किया गया।

पंजीकृत अभियोग-
मु*0*अ*0*सं*0*- 160/*21* धारा-*457,380*भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-
सिद्धू चौहान पुत्र हरिश्चन्द चौहान निवासी चालीसवां थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ व हालपता ईटोरा जिला जेल के पास जनपद आजमगढ़

बरामदगी-
01 अदद लेपटाप *dell* कंपनी, 01 अदद मोबाइल रेडमी 9 प्रो, 01 अदद कीबोर्ड व 01 अदद माउस व 130 रुपये नकद

आपराधिक इतिहासः-
1. मु0अ0सं0 10/21 धारा 457,380 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 22/21 धारा 457,380 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 27/21 धारा 401,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. मु*0*अ*0*सं*0*- 160/*21* धारा-*457,380*,411भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ*0*नि*0* पवन कुमार शुक्ला थाना निजामाबाद, आजमगढ
2. का0 हर्षित कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. का0 तरुण पाण्डेय थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना दीदारगंज
01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल नेतृत्व में व थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के निर्देशन में उ0नि0 धनराज सिंह मय हमराह हे0का0 उमाशंकर यादव व का0 मोनू यादव के द्वारा मु0अ0स0

117/21 धारा 306 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दर्शनलाल पुत्र रामबली निवासी ग्राम पकरौल थाना दीदारगंज आजमगढ़ को उसके घर से अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 09.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 117/2021 धारा 306 भाद0वि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दर्शनलाल पुत्र रामबली ग्राम पकरौला थाना दीदारगंज आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

1- उ0नि0 धनराज सिंह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

2- हे0का0 उमाशंकर यादव

3- का0 मोनू यादव,